



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 6536/2026

शमीम अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी, संजय कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"I. आयुक्त, वाराणसी, प्रभाग, वाराणसी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 11.02.2026 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो वाद/पुनरीक्षण संख्या 4756/2025 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या C-202514000004756) (शमीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम की धारा 5-क (8) के तहत पारित किया गया है, जो मामला अपराध संख्या 80/2024, पुलिस स्टेशन-चंदौली, जिला चंदौली (इस याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) से संबंधित है।

II. जिला मजिस्ट्रेट, चंदौली/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 17.09.2024 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो वाद संख्या 697/2024 (राज्य बनाम शमीम अहमद और अन्य) उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम की संशोधित धारा 5(ए) के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत तथा इसके परिणामस्वरूप जारी किए गए किसी भी आदेश या कार्यवाही (इस याचिका का अनुलग्नक संख्या 2) के तहत पारित किया गया है।

III. याचिकाकर्ता के वाहन संख्या यूपी67-बीटी-1254 पिक-अप मैजिक को याचिकाकर्ता के पक्ष में तत्काल मुक्त करने या क्षति एवं मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को आदेश और निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.04.2024 को चंदौली थाना, जिला चंदौली में उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम, 1955 (जिसे आगे "अधिनियम, 1955" कहा गया है) की धारा 3/5/5ए/8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (जिसे आगे "अधिनियम, 1960" कहा गया है) की धारा 11 के तहत अपराध संख्या 80/2024 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप है कि नेगुआ नहर के पास एक पिक-अप वाहन खड़ा था और वाहन का चालक वाहन में मौजूद नहीं था।

4. पुलिस ने वाहन का निरीक्षण किया और उसमें कई गायों के बच्चे पाए। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया। आवेदक को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने 8 मई 2024 को इस न्यायालय से जमानत प्राप्त कर ली। जमानत आदेश की प्रति दिनांक 8 मई 2024 को याचिका के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न की गई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी था। चंदौली के पुलिस अधीक्षक ने 12 जून 2024 को उपरोक्त वाहन को जब्त करने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन अग्रेषित किया। चंदौली के जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चंदौली के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 9 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे खारिज कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और वह वाहन/पिकअप संख्या यूपी 67 बीटी 1254 का एकमात्र स्वामी है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, गोमांस की कोई बरामदगी नहीं हुई है, और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप केवल गायों और उनके बछड़ों के परिवहन से संबंधित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि किसी भी गाय के बछड़े को नहीं मारा गया और उक्त वाहन से कोई गोमांस बरामद नहीं हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वाहन की ज़बती के कारण याचिकाकर्ता अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है।

6. याचिकाकर्ता ने आगे निवेदन किया कि वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी था और उसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ गलत तरीके से आरोपपत्र दायर किया है। घटना की तारीख को उक्त वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा दस्तावेज पुलिस के पास थे। हालांकि, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता वाहन का एकमात्र पंजीकृत स्वामी है। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के दौरान, किसी अन्य व्यक्ति ने वाहन पर स्वामित्व का दावा नहीं किया। यह भी निवेदन किया गया है कि वाहन को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखने से उसका मूल्य कम हो सकता है और अंततः वह कबाड़ बन सकता है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने चंदौली के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी; हालांकि, उस पर विचार नहीं किया गया और चंदौली के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 17.09.2024 के आदेश द्वारा उसके उपरोक्त वाहन को जब्त कर लिया।

8. दिनांक 17.09.2024 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वाराणसी के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे बाद में केस संख्या 4756/2025 के रूप में माना गया। उक्त पुनरीक्षण याचिका को भी आयुक्त ने दिनांक 11.02.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। आयुक्त ने मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले/पुनरीक्षण याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

9. दिनांक 17.09.2024 और 11.02.2026 के उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 5-ए की उपधारा (7) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त किए गए अपने वाहन/पिकअप संख्या यूपी 67 बीटी 1254 को छुड़ाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (46) एसीसी 223 (एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि हमारी राय में, चाहे जो भी स्थिति हो, ऐसे जब्त वाहनों को पुलिस थानों में लंबे समय तक रखना व्यर्थ है। मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उचित बांड और गारंटी तथा सुरक्षा लेकर उक्त वाहनों की वापसी के लिए तत्काल उचित आदेश पारित करे, यदि किसी भी समय आवश्यकता हो। ऐसे वाहनों की वापसी के लिए आवेदनों की सुनवाई लंबित रहने तक यह किया जा सकता है।

11. विद्वान एजीए ने प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है और जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 5-ए की उपधारा (7) के तहत वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत थे। आगे यह निवेदन किया गया कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है।

12. मैंने दोनों पक्षों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

13. यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता उक्त वाहन का स्वामी है। किसी अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व का दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मामले में जमानत प्राप्त कर ली है।

14. अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और उसके बछड़ों की हत्या को रोकने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम, 1955 की धारा 5-ए को नीचे दिए गए अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"5-ए. गाय आदि के परिवहन पर विनियमन - (1) कोई भी व्यक्ति किसी गाय, बैल या बछड़े का परिवहन नहीं करेगा, जिसका वध उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर इस अधिनियम के तहत दंडनीय है, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी परमिट के तहत और ऐसे परमिट की शर्तों के अनुसार ही करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, बैल या बछड़े के लिए [पांच सौ रुपये] से अधिक न होने वाले शुल्क के भुगतान पर परमिट जारी करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जहां परमिट गाय, बैल या बछड़े के परिवहन के लिए परमिट में निर्दिष्ट छह महीने से अधिक की सीमित अवधि के लिए है।

(3) जहां सीमित अवधि के परमिट पर गाय, बैल या बछड़े का परिवहन करने वाला व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, बैल या बछड़े को राज्य में वापस नहीं लाता है अनुमति देने पर, उसे उपधारा (1) के प्रावधान का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

(4) परमिट का प्रपत्र, उसके लिए आवेदन का प्रपत्र और ऐसे आवेदन के निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा निर्धारित किया जाए।

(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, किसी भी समय, इस धारा के तहत की गई कार्रवाई की वैधता या औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसी भी मामले के अभिलेख को मंगवाकर उसकी जांच कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) जहां उक्त वाहन को इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस से संबंधित होने की पुष्टि की गई है, तो परिवहन से संबंधित चालक, संचालक और स्वामी पर इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया जाएगा, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि अपराध में प्रयुक्त परिवहन माध्यम, सभी सावधानियों के बावजूद और उसकी जानकारी के बिना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(7) जिस वाहन द्वारा गोमांस या गाय और उसके बछड़ों को इस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए परिवहन किया जाता है, उसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित जिला

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, मामले के अनुसार, ज़ब्ती और रिहाई की सभी कार्यवाही करेंगे।

(8) जब्त किए गए वाहन द्वारा ले जाई गई गाय और उसके बछड़ों या गोमांस को भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, मामले के अनुसार, ज़ब्ती और रिहाई की सभी कार्यवाही करेंगे।

(9) जब्त की गई गायों और उनके बछड़ों के भरण-पोषण पर किया गया व्यय, एक वर्ष की अवधि के लिए या गाय और उसके बछड़ों को उनके मालिक के पक्ष में रिहा किए जाने तक, जो भी पहले हो, आरोपी से वसूल किया जाएगा।

(10) जहां किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत किसी अपराध को करने, उसमें सहायता करने या उसका प्रयास करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है और अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के कब्जे में गोमांस या गाय के अवशेष सिद्ध हो जाते हैं और सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा परिवहन की गई वस्तु को गोमांस होने की पुष्टि हो जाती है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है या ऐसे अपराध का प्रयास किया है या उसमें सहायता की है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए।

(11) जहां इस अधिनियम या संबंधित नियमों में तलाशी, अधिग्रहण, निपटान और ज़ब्ती के संबंध में प्रावधान मौन हैं, वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रासंगिक प्रावधान प्रभावी होंगे।

15. अधिनियम, 1955 की धारा 5-ए, विधि प्रवर्तन अधिकारियों को किसी भी वाहन को जब्त करने का अधिकार देती है जिसके द्वारा गोमांस या गाय और उसके बछड़ों का परिवहन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ज़ब्ती और रिहाई की सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. उपरोक्त धारा 5-ए (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी गाय, बैल या बछड़े का परिवहन नहीं करेगा, परिवहन के लिए पेश नहीं करेगा या परिवहन नहीं करवाएगा, जिसका वध उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर इस अधिनियम के तहत राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी परमिट के बिना दंडनीय है और धारा 5-ए के उप-खंड (7) के अनुसार, वह वाहन, जिसके द्वारा गोमांस या गाय और उसके बछड़ों का परिवहन इस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है, कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, जब्ती और रिहाई की सभी कार्यवाही करेंगे।

17. यह स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 11.02.2026 के आक्षेपित आदेश द्वारा, वाराणसी के आयुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

18. यह स्वीकार किया जाता है कि वाहन के अंदर गोमांस नहीं पाया गया, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि इन गायों या उनके बछड़ों की तस्करी वध के लिए की जा रही थी। वाहन में वध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई उपकरण नहीं मिला। इस प्रकार, न्यायालय की राय में, राज्य के भीतर गायों या उनके बछड़ों का मात्र परिवहन अपराध नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार का विचार इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **कालिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य, 2023 0 सुप्रीम (अल्लाह) 1325** में व्यक्त किया था, जिसमें जब गायों या उनके बछड़ों को राज्य के भीतर ले जाया जा रहा था, तो परमिट की आवश्यकता से इनकार कर दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट का आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय का ज़ब्त आदेश कानून में गलत पाया गया था और रद्द कर दिया गया था।

19. जहां तक रिट याचिका की स्वीकार्यता का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय के **धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2009) 64 एसीआरसी 962** के मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि धारा 482 सीआरपीसी या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उपलब्ध उपाय को केवल इसलिए सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध है। वैकल्पिक उपाय संविधान के अनुच्छेद 226/227 या सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत शक्ति का प्रयोग करने में बाधक नहीं है, अतः विद्वान एजीए की आपत्ति खारिज हो जाती है।

20. चूंकि याचिकाकर्ता का वाहन संबंधित पुलिस स्टेशन के खुले परिसर में लगभग दो वर्षों से खड़ा है और उसकी देखरेख नहीं की जा रही है तथा वह दिन-प्रतिदिन कबाड़ होता जा रहा है, इसलिए **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (उपरोक्त)** के फैसले के अनुसार, संबंधित वाहन को छोड़ने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

21. अतः, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाराणसी के आयुक्त द्वारा दिनांक 11.02.2026 को पारित आदेश तथा चंदौली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17.09.2024 को पारित आदेश को **निरस्त** किया जाता है।

22. जिला मजिस्ट्रेट, चंदौली द्वारा दिनांक 17.09.2024 के आदेश द्वारा जब्त किए गए वाहन/पिकअप संख्या यूपी 67 बीटी 1254 को मालिक/याचिकाकर्ता के पक्ष में इस शर्त पर मुक्त किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और निम्नलिखित शर्तों के साथ एक निजी बांड प्रस्तुत करे,:-

1. याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई के दौरान वाहन का निपटान नहीं करेगा।
2. याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई के दौरान वाहन का स्वरूप नहीं बदलेगा।
3. याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर वाहन को अपने खर्च पर संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

28 मार्च, 2026

एपी पांडे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।